



मुकदमा नम्बर 93/2024
किशनाराम बनाम मंगलाराम
निर्णय तारीख 01.09.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 93/2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/218

अनवान

1. किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्णोई निवासी बी ढाणी सांचौर हाल बड़सम तहसील सांचौर जिला जालोर।

वादी.....

1. मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्णोई निवासी बड़सम तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर जिला जालोर (राज०)

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राज० काश्त० अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादी की ओर से अधिवक्ता मदनलाल जाट, प्रकाश पालड़िया, अर्जुन देवासी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय।

—:निर्णय:—

दिनांक:- 01.09.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 18.10.2024 को सरहद मौजा बड़सम पटवार मण्डल गोलासन के खेत खसरा नम्बर 1083/87 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1084/87 रकबा 2.23 जुमले रकबा 2.62 हेक्टेयर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/110 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भूअ./2025/2569 दिनांक 04.07.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।




सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्णोई साकिन बी. ढाणी, खातेदार	1083/87	0.39	0.39	बारानी सोयम	हरा	0.59
		1084/87	2.2332	0.9216	बारानी सोयम		1.38
2.	मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्णोई साकिन बी. ढाणी खातेदार	1084/87	2.2332	1.3116	बारानी सोयम	गुलाबी	1.97

1. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।



(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.
अनवान

1. किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्‍नोई निवासी बी ढाणी सांचौर हाल बड़सम तहसील सांचौर जिला जालोर।

वादी.....

1. मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्‍नोई निवासी बड़सम तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर जिला जालोर।

प्रतिवादीगण.....

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 93/2024


यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता मदनलाल जाट, प्रकाश पालडिया, अर्जुन देवासी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्‍नोई साकिन बी. ढाणी, खातेदार	1083/87	0.39	0.39	बारानी सोयम	हरा	0.59
		1084/87	2.2332	0.9216	बारानी सोयम		1.38
2.	मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्‍नोई साकिन बी. ढाणी खातेदार	1084/87	2.2332	1.3116	बारानी सोयम	गुलाबी	1.97

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।


बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.09.2025 को जारी की गई




(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखंड अधिकारी, सांचौर)

मुददर्श	रुपया	पैसा	मुददयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमीशनर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00




सहाय्यक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)